

an>

Title: Need to withdraw subsidy on export of meat.

श्री वॉट नाथ (अलवर): मैं विदेश व्यापार नीति में मांस निर्यात व उस पर दी जाने वाली सब्सिडी को रोकने का अनुरोध करता हूँ क्योंकि मांस निर्यातक ऐसे पशुओं का वध करने की बात करते हैं जो व्यवसायिक रूप से अप्रयोज्य हैं, दूध देने में असमर्थ हैं अथवा अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिससे मांस निर्यातक पशुवध एवं मांस निर्यात को उचित ठहराते हैं। मांस निर्यात के मापदण्डों में युवा व स्वस्थ पशुओं के वध किए जाने पर मांस का निर्यात किया जाना अपेक्षित है। क्या पशुओं का वध इसलिए किया जाता है कि हमारे यहां चारे की कमी ना हो जाए? ऐसा नहीं है। हमारे देश में चारा भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान व उत्तर प्रदेश में किसानों के पास भण्डारण क्षमता न होने के कारण चारे को खेतों में जला दिया जाता है या अन्य प्रकार से नष्ट कर दिया जाता है। देश की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए दुधारू पशुओं जैसे गाय, भैंस, भेड़-बकरी, ऊँट आदि का मांस निर्यात पूर्णतः नकारा पशुओं की आड़ में दुधारू पशुओं का भी वध किया जाता है क्योंकि हमारे देश में अभी तक इनकी सुरक्षा का कोई कानून नहीं है तथा जो कानून है, उसका भी सख्ती से पालन नहीं किया जाता है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि नई विदेश व्यापार नीति में कम से कम गाय भैंस के वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए एवं इस जघन्य हिंसा व्यापार को बंद किया जाना चाहिए तथा उनके स्थान पर पशुओं की नस्ल वृद्धि व दुग्ध उत्पादन वृद्धि हेतु बड़े पशुपालन फार्म बनाए जाने चाहिए व उनकी नस्ल सुधार के लिए योजनाबद्ध कार्य किए जाने चाहिए।